न्यूज़ टुडे

सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों द्वारा आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य से निपटने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने सभी शैक्षणिक संस्थानों (जैसे- स्कूल, कोचिंग संस्थान, आदि) के लिए संविधान के **अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 141 के तहत 15 अंतरिम दिशा-निर्देश** जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश छात्रों की आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य के बढ़ते संकट से निपटने के लिए **सुकदेब साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले** में जारी किए गए हैं।

- न्यायालय ने कहा कि भारत के युवाओं में व्याप्त यह संकट देश के एजुकेशनल इकोसिस्टम में गहरी **"संरचनात्मक अस्वस्थता"** की ओर इशारा करता है।
- NCRB के अनुसार, 2022 में भारत में **13,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्याएं** की थी, जो **सभी तरह की आत्महत्याओं का 7.6%** है। इनमें से 2,200 से अधिक **सीधे तौर पर परीक्षा में असफलता** से जुड़ी थीं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी प्रमुख न्यायिक दिशा-निर्देश (विधायी ढांचा विकसित होने तक बाध्यकारी)

- **शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य नीति:** यह उम्मीद, मनोदर्पण और राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति जैसे राष्ट्रीय ढांचे के अनुरूप है।
- **मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर्स की नियुक्ति:** 100 या अधिक छात्रों वाले संस्थानों के लिए कम-से-कम एक योग्य काउंसलर होना चाहिए।
- ये परफॉरमेंस, पब्लिक शेमिंग करने और कठिन शैक्षणिक लक्ष्यों के आधार पर **बैच को अलग करने पर प्रतिबंध** लगाते हैं।
- **हेल्पलाइन नंबर (टेली-मानस सहित)** को परिसरों और छात्रावासों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- **सभी कर्मचारियों** को संकट प्रतिक्रिया और चेतावनी संकेतों की पहचान पर **वर्ष में दो बार मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण** प्राप्त करना होगा।
- SC/ST/OBC/EWS, LGBTQ+ और दिव्यांग छात्रों के लिए **समावेशी व गैर-भेदभावपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य प्रथाओं** को अपनाना होगा।
- संस्थानों द्वारा यौन उत्पीड़न, रैगिंग और पहचान आधारित भेदभाव के लिए **गोपनीय रिपोर्टिंग प्रणाली** स्थापित की जाएगी। साथ ही, प्रभावित छात्रों के लिए **तत्काल मनोवैज्ञानिक सहायता सुनिश्चित करनी होगी।**
- **रुचि-आधारित करियर परामर्श और पाठ्येतर गतिविधियों** को बढ़ावा देकर **परीक्षा-केंद्रित तनाव को कम** करने का प्रयास करना होगा।

मानसिक स्वास्थ्य के महत्त्व के प्रति कानूनी मान्यता और नीतिगत प्रतिबद्धताएं

- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017** प्रत्येक नागरिक को **"मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच के अधिकार"** की गारंटी देता है और उनकी गरिमा की रक्षा करता है।
  - इस अधिनियम के तहत **आत्महत्या के प्रयास को भी अपराध की श्रेणी** से बाहर कर दिया गया है तथा इसे **अपराध की बजाय मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता** माना गया है।
- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016** के तहत दिव्यांग की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें मानसिक बीमारी को भी शामिल किया गया है। इससे मनोसामाजिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को कानूनी सुरक्षा और समानता प्राप्त हुई है।
- भारत के संविधान के **अनुच्छेद 21 के तहत मानसिक स्वास्थ्य जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है।**
  - **जीवन के अधिकार का अर्थ केवल पशुवत अस्तित्व नहीं है,** बल्कि यह सम्मान, स्वायत्तता और कल्याण से पूर्ण जीवन है। **केस लॉ: शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ।**

भारतीय रेलवे ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में देश के पहले हाइड्रोजन-संचालित कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया

भारतीय रेलवे ने **"हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज" पहल (2023)** के तहत विरासत स्थलों और पहाड़ी मार्गों पर **35 हाइड्रोजन-संचालित ट्रेनों** के परिचालन की योजना बनाई है। इसी व्यापक योजना के हिस्से के रूप में हाइड्रोजन कोच एक महत्वपूर्ण कदम है।

- यह हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन **1,200 हॉर्स पावर (HP) क्षमता के इंजन** से लैस होगी। इस प्रकार यह रेल परिवहन के लिए विकसित **दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन प्रणोदन प्रणाली** होगी।
- यह भारत के **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन** की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

वैकल्पिक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को अपनाने के लाभ

- **ग्रीन हाइड्रोजन में बैटरी की तुलना में उच्च ऊर्जा घनत्व** होता है और इसका बड़ी मात्रा में प्रभावी ढंग से भंडारण/ परिवहन किया जा सकता है।
- **हाइड्रोजन ईंधन-सेल आधारित ट्रेन्स केवल जल वाष्प उत्सर्जित (शून्य प्रत्यक्ष CO_2 उत्सर्जन) करती हैं:** एक डीजल इंजन आधारित ट्रेन को हाइड्रोजन इंजन ट्रेन से बदलने पर लगभग 400 कारों द्वारा वार्षिक CO_2 उत्सर्जन के बराबर उत्सर्जन कटौती की जा सकती है।
- ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में **कम अवसंरचना निर्माण** की आवश्यकता होती है। साथ ही, हाइड्रोजन-संचालित लोकोमोटिव तकनीकी रूप से मौजूदा रेलवे पटरियों पर चलने में भी सक्षम होते हैं।

वैकल्पिक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को अपनाने में मौजूद चुनौतियां

- **ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की वर्तमान सीमाएं:** देश में उत्पादित अधिकांश हाइड्रोजन का उत्पादन **स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग (ग्रे हाइड्रोजन)** के जरिए होता है।
  - भारत के पास **नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों** से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए आवश्यक **उच्च क्षमता वाला प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन-आधारित इलेक्ट्रोलाइजर संयंत्र** नहीं है।
- **अवसंरचना की कमी:** वर्तमान में, भारतीय रेलवे को अपने लोकोमोटिव में हाइड्रोजन के निर्बाध एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण सहायक अवसंरचना की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
- **मांग में अनिश्चितता:** भारतीय रेलवे में **हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में अपनाने की सीमा पर कोई निश्चित रोडमैप नहीं** है, जिससे मांग में अनिश्चितता बनी हुई है।

भारतीय रेलवे हाइड्रोजन तकनीक को किस प्रकार अपना सकता है:

- **पायलट परियोजनाओं का विस्तार करके:** व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए विरासत स्थलों से जुड़े मार्गों से परे पायलट परियोजनाओं का विस्तार करना चाहिए।
- **आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करके:** चयनित मार्गों पर आपूर्ति श्रृंखला (भंडारण, परिवहन, ईंधन भरना आदि) का निर्माण करना चाहिए।
- **कम-आवृत्ति, दूरस्थ मार्गों को प्राथमिकता देकर:** इसे लागत प्रभावी बनाने के लिए दूरस्थ मार्गों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **सहयोग करना:** ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालयों/ सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों के साथ सहयोग करना चाहिए।

संसद में हंगामे के बीच मानसून सत्र का पहला सप्ताह समाप्त हुआ

17वीं लोक सभा के सत्र में, लोक सभा ने **अपने निर्धारित समय का 88% कार्य किया, जबकि राज्य सभा ने अपने निर्धारित समय का 73%** कार्य किया।

- 1950 के दशक में भारतीय संसद की बैठक **प्रतिवर्ष 120-140 दिनों** के लिए होती थी, जबकि **अब यह घटकर 60 से 70 दिन** रह गई है।

संसदीय व्यवधान से उत्पन्न समस्याएं

- **लोकतांत्रिक जवाबदेही का कमजोर होना:** संसदीय बहसों से निर्वाचित नेता सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन व्यवधान इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करते हैं।
- **मौद्रिक लागत:** संसद चलाने की लागत लगभग 2.5 लाख रुपये प्रति मिनट है।
- **संसद में जनता के विश्वास में कमी:** बार-बार व्यवधान के कारण सांसदों का ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाने से हटकर कार्यवाही को रोकने पर केंद्रित हो जाता है।

संसद में व्यवधान को दूर करने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपाय

- **विपक्ष के लिए समर्पित समय सुनिश्चित करना:** उदाहरण के लिए- ब्रिटिश संसद विपक्ष द्वारा एजेंडा तय करने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 दिन का समय निर्धारित करती है।
- **नैतिकता समितियों को मजबूत करना:** इससे व्यवधानों की निगरानी करने और रिपोर्ट करने तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
- **वार्षिक संसदीय कैलेंडर:** सीमित लचीलेपन के लिए बैठकों का कैलेंडर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में घोषित किया जाना चाहिए।

व्यवधानों के पीछे कारण

विपक्षी दल जनता के बीच **ज्यादा प्रचार और पहुंच प्राप्त** करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।

दल-बदल विरोधी कानून सांसदों को पार्टी व्हिप का पालन करने के लिए बाध्य करता है।

व्यवधान विवादास्पद राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मुद्दों के कारण उत्पन्न होते हैं, जो जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं।

राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि का अर्थ है बहस का कम समय और असूचीबद्ध मुद्दों के कारण ज्यादा व्यवधान।

भारत-मालदीव राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधान मंत्री ने मालदीव की यात्रा की

यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि **"इंडिया आउट" कैंपेन** के बाद प्रधान मंत्री की यह **पहली** मालदीव यात्रा है। ध्यातव्य है कि इंडिया आउट कैंपेन के चलते दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया था।

यात्रा के प्रमुख परिणामों पर एक नजर:

- **समझौतों पर हस्ताक्षर:**
  - मालदीव को **4,850 करोड़ रुपये की लाइन ऑफ क्रेडिट** की सुविधा दी गई।
  - भारत सरकार से लिए गए **ऋणों के वार्षिक भुगतान को कम** करने के लिए एक समझौता किया गया।
  - मालदीव में **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) शुरू** करने का समझौता किया गया।
  - प्रस्तावित **मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** के लिए विचारार्थ विषयों पर चर्चा की गई।
- **समझौता ज्ञापनों (MoUs) का आदान-प्रदान:** मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि; मौसम विज्ञान; डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना; UPI; भारतीय फार्माकोपिया आदि क्षेत्रकों के संबंध में 6 समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया।
- **उद्घाटन/ हस्तांतरण:**
  - **आवास और अवसंरचना:** भारत की बायर्स क्रेडिट सुविधा के तहत **हुलहुमाले में 3,300 सामाजिक आवास इकाइयों और अद्दू शहर में सड़क एवं जल निकासी प्रणाली परियोजना** का उद्घाटन किया गया।
  - **स्वास्थ्य: दो 'आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब (भीष्म/ BHISHM)' सेट्स** सौंपे गए।

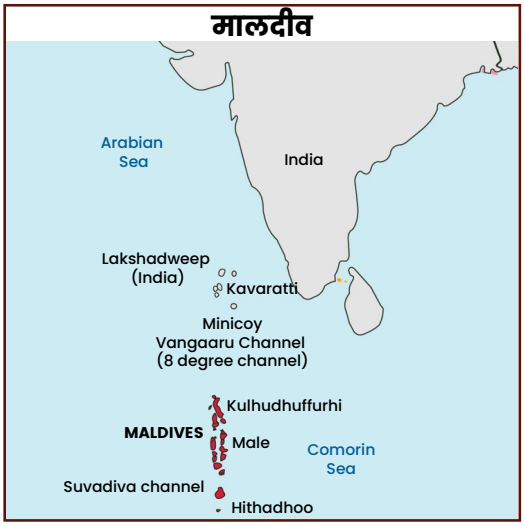

भारत के लिए मालदीव का महत्त्व

- **भू-राजनीतिक:** यह भारत की **'पड़ोसी प्रथम' नीति और महासागर/ MAHASAGAR विज़न** का एक अहम हिस्सा है।
- **सामरिक:** मालदीव की भौगोलिक स्थिति उसे एक तरह से **'टोल गेट'** बनाती है। यह पश्चिमी हिंद महासागर के चोकपॉइंट्स **(जैसे अदन की खाड़ी और होर्मुज़ की खाड़ी)** तथा पूर्वी हिंद महासागर के चोकपॉइंट **(मलक्का जलडमरूमध्य)** के बीच स्थित है।
- **भू-अर्थशास्त्र:** यह प्रमुख **वाणिज्यिक समुद्री संचार मार्गों (SLOCs)** के निकट अवस्थित है।
  - भारत का **50% से अधिक विदेशी व्यापार और 80% ऊर्जा आयात** इन्हीं समुद्री मार्गों से होकर गुजरता हैं।
- **सुरक्षा एवं आतंकवाद, समुद्री डकैती आदि से निपटना:** उदाहरण के लिए- मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षी **'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स'** रणनीति को निष्प्रभावी करने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही, यह **कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव** का प्रमुख भागीदार भी है।

संसदीय स्थायी समिति ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) पर रिपोर्ट जारी की

यह रिपोर्ट शहरी विकास व क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के संदर्भ में **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC)** की भूमिका और **रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS)** की प्रासंगिकता की जांच करती है।

RRTS क्या है?

- RRTS **रेल-आधारित तथा सेमी-हाई-स्पीड और हाई-फ्रीक्वेंसी वाली एक नई कम्यूटर ट्रांजिट प्रणाली** है। इसका उद्देश्य **शहरों को उनके आस-पास के उपनगरीय और क्षेत्रीय शहरी समूहों से जोड़ना** है।

भारत में RRTS की आवश्यकता क्यों है?

- **शहरी भीड़ कम करना:** 2030 तक भारत की 40% से ज़्यादा आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी।
- **यात्रा का समय घटाना और श्रम उत्पादकता बढ़ाना:** शहरों और उपनगरों के बीच यात्रा करने वाले लोगों को अक्सर लंबा एवं अनिश्चित यात्रा समय लगता है।
- **समान क्षेत्रीय विकास:** उपनगरीय और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को शहरी केंद्रों से जोड़कर संतुलित विकास करना।
- **सरकारी पहलों का समर्थन:** यह स्मार्ट सिटीज़ मिशन, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी सरकारी पहलों का भी समर्थन करता है।

RRTS के विस्तार हेतु समिति की सिफारिशें

- **एकीकृत मेट्रोपॉलिटन परिवहन प्राधिकरण (UMTA) की स्थापना:** मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार, राज्य सरकारों को समन्वित योजना के लिए UMTA की स्थापना करनी चाहिए।
- **क्षेत्रीय संदर्भ में बड़े शहरों की योजना:** शहर की मेट्रो प्रणाली को RRTS के साथ सुचारू रूप से जोड़ने के लिए बड़े मेट्रो शहरों की योजना क्षेत्रीय संदर्भ में बनाई जानी चाहिए।
- **बहु-आयामी एकीकरण:** हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशंस, बस अड्डों आदि के साथ RRTS का बहु-आयामी एकीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मध्यवर्तियों को अश्लील कंटेंट वाली 25 वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया

मंत्रालय ने निम्नलिखित कानूनों के तहत **मध्यवर्तियों को गैर-कानूनी जानकारी हटाने का निर्देश दिया है-**

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT अधिनियम, 2000),** तथा
- **सूचना प्रौद्योगिकी** (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021.

ये वेबसाइट्स निम्नलिखित कानूनों का उल्लंघन कर रही थीं:

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की **धारा 67 और धारा 67A,**
- भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की **धारा 294,**
- महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की **धारा 4.**

- **अश्लील कंटेंट** से तात्पर्य ऐसे कंटेंट से है, जो **समाज के शिष्टता और नैतिकता के स्वीकृत मानकों के अनुसार आपत्तिजनक, घृणित या नैतिक रूप से अपमानजनक** होते हैं।

अश्लील कंटेंट पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता क्यों है?

- भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 19(2):** यह राज्य को **"शिष्टाचार और नैतिकता"** के हित में अभिव्यक्ति की आजादी पर **"उचित प्रतिबंध"** लगाने की अनुमति देता है।
  - **इससे संबंधित केस लॉ: रंजीत डी. उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 292 (BNS, 2023 की धारा 294)** के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा और कहा कि **अश्लीलता को अभिव्यक्ति की आजादी के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं** है।
- **महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा:** कम उम्र में अश्लील कंटेंट के संपर्क में आने से **बच्चों में रिश्तों के बारे में समझ बिगड़** सकती है और **महिलाओं को वस्तु** के रूप में देखा जाने लगता है। इससे **लैंगिक असमानता एवं हिंसा को बढ़ावा** मिलता है।
- **अश्लीलता से सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का नष्ट होना:** इसलिए, **मिल की हार्म थ्योरी** के तहत इस तरह के प्रतिबंध को उचित ठहराया जाता है। इसके अनुसार **दूसरों को नुकसान पहुंचाने या सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली स्वतंत्रता को कानून द्वारा सीमित** किया जा सकता है।
  - मिल की हार्म थ्योरी **'ऑन लिबर्टी (1859)'** में वर्णित है।

अन्य सुर्ख़ियां

राष्ट्रपति शासन

मणिपुर में **राष्ट्रपति शासन को अगले 6 माह के लिए बढ़ा** दिया गया है।

राष्ट्रपति शासन (भाग XVIII: आपातकालीन प्रावधान)

- **लागू करने का आधार**
  - **संवैधानिक तंत्र का विफल होना (अनुच्छेद 356):** यदि **राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से प्राप्त रिपोर्ट,** या स्वयं इस बात का आभास हो जाए कि **राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चला पा रही** है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
  - **संघ के निर्देशों का पालन न करना (अनुच्छेद 365):** यदि कोई **राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं** करता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
- **अवधि:** राष्ट्रपति शासन **शुरुआत में छह माह के लिए लगाया** जाता है। बाद में इसे **संसदीय अनुमोदन से प्रत्येक 6-6 माह के कालखंड के लिए अधिकतम तीन साल तक बढ़ाया** जा सकता है।

अटल पेंशन योजना (APY)

अटल पेंशन योजना (APY) ने **8 करोड़ से ज़्यादा कुल नामांकन का महत्वपूर्ण लक्ष्य** हासिल कर लिया है।

अटल पेंशन योजना (APY) क्या है?

- **उद्देश्य:** इस योजना का लक्ष्य भारत के विशाल असंगठित कार्यबल में **वृद्धावस्था की सुरक्षा** और **दीर्घायु जोखिम** की दोहरी चुनौतियों का समाधान करना है।
- **मंत्रालय:** यह **वित्त मंत्रालय** के अंतर्गत आती है।
- **लागू करने वाली एजेंसी:** इसे **पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)** द्वारा लागू किया जाता है।
- **पात्रता:** 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारक, जो आयकर दाता नहीं हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- **लाभ:** 60 साल की आयु के बाद जीवन भर **हर महीने** 1,000 से 5,000 रुपये तक की **गारंटीड पेंशन** मिलती है।

E3 देश

हाल ही में **अमेरिका-ईरान परमाणु वार्ता में गतिरोध** के बीच, E3 देशों ने ईरान को **स्नैपबैक प्रतिबंधों** की चेतावनी दी है।

स्नैपबैक प्रतिबंध

- ये प्रतिबंध **2015 के संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA)** के तहत लाए गए प्रावधान है।
- इनके अनुसार, अगर **ईरान अपने परमाणु समझौतों का उल्लंघन** करता है, तो उसके खिलाफ प्रतिबंधों को फिर से लगाया जा सकता है।

E3 देश कौन हैं?

- **परिचय:** E3 एक **अनौपचारिक विदेश और सुरक्षा सहयोग समूह** है। इसमें **UK, जर्मनी और फ्रांस** शामिल हैं।
- **उत्पत्ति:** E3 की पहली बैठक **2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर किए गए हमले** के बाद हुई थी। इसका उद्देश्य इराक के लिए एक **त्रिपक्षीय रणनीति तैयार करना,** और ईरान से उत्पन्न हो रहे **परमाणु खतरे को रोकना** है।

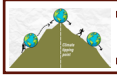

क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट

शोधकर्ताओं का कहना है कि 2023 की चरम समुद्री हीटवेव्स जलवायु परिवर्तन के कारण हुई थी और यह **क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट** का संकेत हो सकता है।

क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट क्या है?

- **जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC)** के अनुसार, **क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु** या सीमा है, जिसे पार कर जाने पर किसी प्रणाली की स्थिति में एक बड़ा बदलाव आ जाता है। अक्सर, यह बदलाव अपरिवर्तनीय होता है।
  - **उदाहरण:** ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षावनों का शुष्क सवाना वनस्पति में बदलना।
- **IPCC ने कई टिपिंग पॉइंट्स की पहचान की है:** जैसे- ग्रीनलैंड आइस शीट, अटलांटिक परिसंचरण, अमेजन के वर्षावन और अंटार्कटिक आइस शीट्स आदि।

UAV लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल-V3 (ULPGM-V3)

DRDO ने **एडवांस्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल-V3** का सफल उड़ान परीक्षण किया।

ULPGM-V3 के बारे में

- **विकास:** इसे **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)** ने विकसित किया है।
- यह एक **हाई-डेफिनिशन ड्यूल-चैनल सीकर** से लैस है, जो विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को निशाना बना सकता है।
- **महत्त्व:**
  - इसे **मैदानी और ऊँचे पहाड़ी इलाकों,** दोनों जगह से दागा जा सकता है।
  - इसमें **दिन-रात** किसी भी समय **हमला करने की क्षमता** है।
  - इसमें **दो-तरफा डेटा लिंक** है जो लॉन्च के बाद लक्ष्य या निशाने को अपडेट करने की सुविधा देता है।

माइकोराइजल कवक

हाल ही में **SPUN (सोसाइटी फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड नेटवर्क्स)** द्वारा प्रकाशित **'अंडरग्राउंड एटलस'** में **मायकोराइजल कवक के संरक्षण** की जरूरत को उजागर किया गया है।

- इसमें बताया गया कि **90% से अधिक मायकोराइजल कवक के हॉटस्पॉट संरक्षित क्षेत्रों के बाहर** हैं।

माइकोराइजल कवक के बारे में

- यह एक कवक है जो पृथ्वी पर 80 प्रतिशत से अधिक पादपों की प्रजातियों के साथ सहजीवी रूप से रहता है तथा यह मिट्टी में मौजूद **सूक्ष्मजीवीय बायोमास** का लगभग **30% हिस्सा** होते हैं।
- **महत्व** - यह पौधे को मिट्टी से फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। साथ ही, यह कार्बन पृथक्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये पौधे की जड़ों द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का उपयोग करते हैं।

क्रॉपिक (CROPIC)

यह पहल वित्तीय सक्षमता बढ़ाने के लिए कृषि में डिजिटल नवाचारों का हिस्सा है।

क्रॉपिक (फसलों के रियल टाइम अवलोकन और फोटो का संग्रह) पहल के बारे में

- **यह प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** के अंतर्गत **कृषि मंत्रालय** द्वारा लॉन्च किया गया **एक मोबाइल ऐप** है।
  - **फसल चक्र के दौरान 4-5 बार फसलों की जियो-टैग की** गई तस्वीरें लेना।
- इसमें फोटो का विश्लेषण करने और उससे आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु AI-आधारित क्लाउड प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा और इसे वेब-आधारित एक डैशबोर्ड पर देखा जा सकेगा।
- **वित्त-पोषण:** यह PMFBY के अंतर्गत नवाचार एवं प्रौद्योगिकी कोष (FIAT) के माध्यम से किया जाएगा।

डोकलाम

भारत-चीन गतिरोध के आठ साल पश्चात, नाथू ला के बाद, सिक्किम में अब डोकलाम और चो ला भी बैटलफील्ड टूरिज्म के लिए खुलेंगे।

डोकलाम (डोंगलांग) के बारे में

- **ऊँचाई:** समुद्र तल से 13,780 फीट
- यह एक **रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इलाका** है, जहां **भारत, चीन और भूटान की सीमाएं** (त्रि-जंक्शन) मिलती हैं।
- डोकलाम गतिरोध **2017 में तब प्रमुखता से उभरा जब भारत ने** भूटान के क्षेत्र में चीन द्वारा सड़क निर्माण को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था।
  - **भारत द्वारा यह कदम 2007 में** संपन्न हुई **भारत-भूटान संधि** के तहत उठाया गया था तथा भूटान के समर्थन में हस्तक्षेप किया था।
- **भारत के लिए महत्व:**
  - **सिलीगुड़ी कॉरिडोर ("चिकन नेक") की रक्षा करना,** जो **पूर्वोत्तर** भारत को शेष भारत से जोड़ता है।
  - **यह क्षेत्र भारत को भूटान और पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा में रणनीतिक बढ़त देता है।**

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (राजधानी: किंशासा)

- कांगो सरकार और विद्रोही संगठन **M23 (मार्च 23 मूवमेंट)** ने **कांगो रिवर एलायंस** के तहत **शांति के लिए दोहा में एक समझौता-पत्र** (Declaration of Principles) पर हस्ताक्षर किए।
- इस समझौते में **कतर** ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई।
- **भौगोलिक अवस्थिति:**
  - **अवस्थिति: यह मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है।**
  - **सीमावर्ती राष्ट्र:** अंगोला, कांगो गणराज्य, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दक्षिण सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया।
  - **सीमावर्ती जल निकाय:** अटलांटिक महासागर (छोटी तटरेखा)।
  - **संघर्ष क्षेत्र:** नॉर्थ किवु, साउथ किवु, और इतुरी प्रांत
- **भौगोलिक विशेषताएं:**
  - **प्रमुख नदियां: कांगो नदी** (अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी, जो भू-मध्य रेखा को दो बार पार करती है)।
  - **महत्वपूर्ण पठार:** कटंगा का पठार।
  - **महत्वपूर्ण झीलें:** टांगानिका झील, अल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, किवु झील
  - **ज्वालामुखी: माउंट न्यारागोंगो** (विरुंगा पर्वतमाला में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी)।
  - **प्राकृतिक क्षेत्र:** कांगो बेसिन (मध्य तराई वर्षावन), सवाना।
  - विश्व का तीन-चौथाई कोबाल्ट का उत्पादन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) में होता है।